

राजस्थान सरकार  
मत्स्य विभाग, पशुधन भवन, टोंक रोड, जयपुर

क्रमांक:एफ3(5)निम/बीज/2003-04/पार्ट-II/

दिनांक:-

कार्यालय आदेश

विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 में अनुमोदित मत्स्य बीज की विक्रय दरों को वर्ष 2018-19 के लिए यथावत् निर्धारण किया जाता है:-

क. सं.	मत्स्य बीज की अवस्था	साईज एम. एम. में	कतला	रोहू	मिग्रल	आई. एम.सी	ग्रास कार्प	कॉमन कार्प	सिल्वर कार्प
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	स्नान	4 दिन का	17	16	15	16	16	16	16
2	अली फ्राई	10-15एम.एम.	165	122	122	122	183	118	118
3	फ्राई	16-30 एम. एम.	238	184	176	200	243	216	236
4	एडवांस फ्राई	31-40एम.एम.	262	208	208	236	258	236	236
5	अली फिंगर लिंग	41-70एम.एम.	635	503	475	516	625	550	575
6	फिंगर लिंग	71-100एम. एम.	1170	805	741	949	1170	935	920
7	एडवांस फिंगरलिंग	101-150एम. एम.	1783	1343	1293	1393	1653	1518	1373
8	यलिंग (yearling)	151 एम.एम. से अधिक	2093	1717	1717	1720	1793	1710	1705

यह दर सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

—६०—  
संयुक्त निदेशक मत्स्य  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ3(5)निम/बीज/2003-04/पार्ट-II/6994-7034 दिनांक:- 09-07-2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति० मुख्य शासन सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. वित्त (व्यय-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. उप निदेशक मत्स्य जयपुर/उदयपुर।
6. सहायक निदेशक मत्स्य, प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण, उदयपुर।
7. समस्त सहायक निदेशक मत्स्य।
8. समस्त मत्स्य विकास/परियोजना अधिकारी।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक मत्स्य  
राजस्थान, जयपुर